निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—123/21
दायरा दिनांक :—13.09.2021
निर्णय दिनांक :—14.05.2022

उनवान

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रीकृष्ण आयु 45 वर्ष जाति अहीर
2. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रीकृष्ण आयु 43 वर्ष जाति अहीर निवासीगण ग्राम मियाड़ा तहसील व जिला बारां (राज0)

बनाम

1. लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह आयु 56 वर्ष जाति राजपूत
2. पुष्पेन्द्र सिहं पुत्र श्री माहेन सिंह आयु 47 वर्ष जाति राजपूत
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह आयु 49 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बोहत तहसील बारां जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए. 188 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :— 14.5.2022

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 (ए) व 53 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम मियाड़ा तहसील बारां की जमाबंदी सम्वत 2029 से 2032 के खाता संख्या 223 के खसरा नं0 108 रकबा 61 बीघा 2 बीस्वा आराजियात किशन बाई बेवा कल्याण सिहं, जोरावर सहिं, मदन सिंह, रूपकंवर बाई बेवा माधोसिंह राजपूत निवासीगण बोहत के संयुक्त खाते दर्ज थी। इसी आराजियात में सम्मिलित खाता संख्या 62 के खसरा नं0 111/842 रकबा 5 बीघा 7 बीस्वा बखाता जोरावर सिंह, मदन सिंह, मोहन सिंह, नरपत सिंह राजपूत निवासी बोहत के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। संयुक्त खातेदारान ने अपने संयुक्त खातेद की वाके माल बोहत एवं मियाड़ा की आराजियात का बाहमी बंटवारा कर लिया था। बाहमी बंटवारे में कल्याण सिंह जी को बोहत की आराजी मिली व मियाड़ा की आराजी माधोसिंह को प्राप्त हुई। उक्त आराजियात का मुल रकबा 66 बीघा 9 बीस्वा एक ही खेत के रूप में स्थित था। उक्त आराजियात के खातेदारान ने उक्त 66 बीघा 9 बीस्वा आराजी ... आराजियात 22 बीघा 5 बीस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:04 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष सदस्य सदस्य ... अदालत ... प्राधिकरण (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादीगण को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था । तबसे वादीगण क्रय की गइ्र आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। दौराने सेटलमेन्ट सम्वत 2038 से 2057 की कार्यवाही में साबिक खसरा नं0 108 रकबा 61 बीघा 2 बीस्वा के नवीन खसरा नं0 188, 189, 192, 193, 188/1702 कुल 6 खसरा नम्बर कायम किये व खसरा नंम्बर 11/842 रकबा 5 बीघा 7 बीस्वा के नवीन खसरा नं0 190, 91, 195, 190/1703 कुल 4 खसरा नम्बर व नक्शा ट्रेस कायम कर वादीगण के कब्जे काश्त के नवीन नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नं0 192 क्षे0 0.07 है0, खसरा नं0 194 क्षे0 0.07 है0, खसरा नं0 188/1701 क्षे0 0.25 है0, खसरा नं0 189/1702 क्षे0 2.70 ळे0, खसरा नं0 190 क्षे0 0.25 है0, खसरा नं0 190/1703 क्षे0 0.22 है0 के स्थान पर खसरा नं0 188 क्षे0 0.35 है0, खसरा नं0 189 क्षे0 2.96 है0 असंगत खसरा नं0 वादीगण के एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिये। जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त के विपरीत एवं असंगत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज हो गया। प्रतिवादीगण के खाते दर्ज आराजी खसरा नं0 190/1703 क्षे0 0.26 है0 को वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। सेटलमेन्ट सम्वत 2038 से 2057 में हुये असंगत एवं गलत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती हेतु राजस्व केम्प कोयला में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसपर हल्का पटवारी ने रिपोर्ट तैयार की। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में वादीगण के नाम दर्ज खसरा नं0 188, 189 की आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा माना व खसरा नं 192 की 0.34 है0 में से 0.07 ळे0, 194 की 1.05 है0 में से 0.07 है0, 188/1701 की 0.46 है0 में से 0.25 है0, 189/1702 की 3.64 है0 में से 2.70 है0 पर वादीगण का कब्जा मानकर रिपोर्ट पेश की। जिसके आधार पर नामांतरण संख्या 446 में वादीगण के उक्त आराजी में 3. 56`0 की जगह 3.34 है0 आराजी दर्ज हुई है। इस प्रकार हल्का पटवारी ने 190/1703 की 0. 22 है0 आराजी जिसपर कि वादीगण काबिज काश्त है को वादीगण के हिस्से में न दर्शाया इस कारण वादीगण के खाते में 0.22 है0 आराजी कम दर्ज हुइ्र व प्रतिवादीगण के खाते में 6. 55 है0 के बजाए 6.77 है0 0.22 ळे0 आराजी अधिक दर्ज हो गई। उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाकर वादीगण प्रतिवादीगण के खाते दर्ज खसरा नं0 190/1703 है0 आराजियात में से 0. 22 है0 आराजियात अपने खाते दर्ज करवाकर अपने खाते मे कम हुये 0.22 है0 क्षे0 आराजियात अपने हक हिस्से एवं खातें की आराजी होने की विधिक प्रास्थितिकी की घोषणा करवाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस को संशोधित करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है। खसरा नं0 190/703 क्षे0 0.26 है0 आराजियात में से 0.22 है0 आराजियात के कब्जे काश्त में मदाखलत ने करने बाबत वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी एवं नालिशी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:04 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष सदस्य अधिकारी
बारां

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मियाडा सम्वत 2073–76 खाता सं.137, नकल जमाबन्दी ग्राम मियाडा सम्वत 2073–76 खाता सं0 372, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी सम्वत 2029–32 खाता सं0 223, नकल जमाबन्दी ग्राम मियाडा सम्वत 2029–32, नकल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षे0 सम्वत 2038–57, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2038–57 खाता 251, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2038–57 खाता सं0 7, नकल नामान्तरण सं0 446 ग्राम मियाडा, नकल विकय पत्र दिनांक 28.01.81 पेश की गई।

अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में उप0 होकर राजीनामा प्रस्तुत किया कि सेटलमेन्ट की गलती की दुरूस्ती बाबत राजस्व केम्प कोयला में किये गये आवेदन पर हल्का पटवारी ने वाद पत्र में विवादित आराजी ख0 नं0 190/1703 रकबा 0.22 है0 वादीगण के कब्जे काश्त एवं हक हिस्से की आराजी को अपनी रिपोर्ट में नहीं दर्शाया इस कारण विवादित ख0नं0 190/1703 की 0.22 है0 आराजी प्रतिवादी के खाते में अधिक दर्ज हो गयी। प्रतिवादी गण विवादित आराजी ख.नं. 190/1703 की 0.22 है0 आराजी को वादीगण के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की है। इसे वादी गण के हक हिस्से एवं खाते में दर्ज करवा कर ख0नं0 190/1703 रकबा 0.22 है0 आराजी प्रतिवादीगण अपने खाते से कम करवा कर वादीगण के खाते दर्ज करवाने को तत्पर एवं तैयार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्तानुसार राजीनामा कर लिया है। उक्त राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण लम्बित वाद पत्र एवं विवाद का निस्तारण चाहते है। वादीगण को वादमय अनुतोष वादीगण के पक्ष में डिक्री किये जाने हेतु प्रतिवादी गण सहमत है।

वादीगण एवं अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम मियाडा सम्वत 2073–76 खाता सं0 137 वादी गण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम मियाडा सम्वत 2073–76 खाता सं0 372 प्रतिवादी गण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी ख0नं0 190/1703 रकबा 0.26 है0 प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है। सेटलमेन्ट के समय ख0नं0 190/1703 रकबा 0.26 है0 प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी गई। जबकि ख0नं0 190/1703 रकबा 0.22 है0 वादी गण के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी। वादी एवं प्रतिवादी गण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में उप0 होकर राजीनामा पेश किया गया जिससे ख0नं0 190/1703 रकबा 0.26 में से 0.22 है0 भूमि वादी गण के खातेदारी में दर्ज करने पर सहमति बनी है। इस पर वादी एवं प्रतिवादी गण की कोई आपत्ति नहीं है। मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:04 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष सदस्य उपखण्ड अधिकारी बाराँ

सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

राजीनामा वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है। वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मियाडा तह0 बारां के ख0नं0 190/1703 रकबा 0.26 है0 में से 0.22 है0 भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी गण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करे। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अध्यक्ष सदस्य

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 123/21	धारा अन्तर्गत 88, 89, 91, 92 ए 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक :–14.05.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री हरिओम चतुर्वेदी	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रीकृष्ण आयु 45 वर्ष जाति अहीर
2. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रीकृष्ण आयु 43 वर्ष जाति अहीर निवासीगण ग्राम मियाडा तहसील व जिला बारां (राज0)

बनाम

1. लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह आयु 56 वर्ष जाति राजपूत
2. पुष्पेन्द्र सिहं पुत्र श्री माहेन सिंह आयु 47 वर्ष जाति राजपूत
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह आयु 49 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बोहत तहसील बारां जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मियाडा तह0 बारां के ख0नं0 190/1703 रकबा 0.26 है0 में से 0.22 है0 भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी गण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करे।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 14.05.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

व्ययानुतोष		
क्र.सं.	व्यय मद	वादी / प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन	
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)	
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक	
6.	व्यय साक्षी	
7.	फीस कमिश्नर	
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति	
9.	ब्याज (:)	
10.	योग	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner